



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2013/फाल्गुन 14, 1934

No. 479]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2013/PHALGUNA 14, 1934

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2013

का.आ. 516(अ).—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री टी. एस. विजयन को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 3.75 लाख रुपए प्रतिमाह के नियत वेतन-पैकेज (आवास और कार की सुविधा के बिना) पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा. सं. आर-16011/01/2012-बीमा-I]

प्रिया कुमार, निदेशक (बीमा)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2013

S.O. 516(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby appoints Shri T. S. Vijayan as Chairperson, Insurance Regulatory and Development Authority with a fixed pay package of Rs. 3.75 lakh per month (without facility of house and car) for a period of five years from the date of assumption of charge or till he attains the age of 65 years or until further order, whichever is earlier.

[F.No. R-16011/01/2012-Ins.-I]

PRIYA KUMAR, Director (Insurance)